


No.I.27011/2/2015-Coord.
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

New Delhi-110001
Dated: 11th December, 2015

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of November, 2015 is enclosed for information.



(Kshitish Kumar)

Under Secretary to the Government of India,
Tel.No.23384502

Encl. As above.


All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

- 1 Secretary to the President of India, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
- 2 Secretary to the Vice- President of India, Cabinet Secretariat, New Delhi
- 3 The Principal Director General, Ministry of I & B, Shastri Bhawan, New Delhi
- 4 Secretary, Deptt. of Telecommunications, Sanchar Bhawan, New Delhi
- 5 Secretary, Deptt. of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi
- 6 Secretary, Deptt. of Statistics, Sardar Patel Bhawan, New Delhi
- 7 Secretary, Legislative Deptt., Shastri Bhawan, New Delhi
- 8 Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research, C.S.I.R Building, Rafi Marg, New Delhi
- 9 Secretary, Ministry of Environment & Forest, Paryavaran Bhawan, New Delhi
- 10 Secretary, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi
- 11 Secretary, Deptt. of Revenue, North Block, New Delhi
- 12 Secretary, Deptt. of Industrial Development, Udyog Bhawan, New Delhi
- 13 Secretary, Deptt. of Defence Production & Supplies, South Block, New Delhi
- 14 Secretary, Deptt. of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi

- Copy to : (i) Economic Advisor, MCA
(ii) PSO to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
(iii) PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs

Copy, also to: Dir(eAK) - To upload the communication on official website of the MCA



(Ministry of Corporate Affairs)

1. Important policy decisions taken and major achievements during the month of November, 2015.

I Notifications:-

(i) This Ministry, vide modification dated 03.11.2015 has authorized the Regional Directors to discharge the functions conferred upon them by the Companies Act, 2013 or delegated to them by the Central Government under the said Act. Further, the Regional Directors shall continue to exercise the functions conferred upon them under the Companies Act, 1956 or delegated under that Act in respect of provision of that Act, which are still in force. GSR 832(E)

(ii) This Ministry vide notification dated 16.11.2015, notified the Companies (Management and Administration) Third Amendment Rules, 2014, whereby the Form No. MGT-7 has been substituted. (G.S.R.862 (E))

II Circulars:

During the month of November, 2015, a circular was issued under the Companies Act, 2013, extending the time limit to 31.12.2015 for e-forms AOC-4, AO (CFS) AOC-4 XBRL and MGT-7 without any additional fee.

There is no case of sanction for prosecution pending in the Ministry for more than three months.


सं. आई-27011/2/2015-समन्वय

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली तारीख: 11 दिसंबर, 2015

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के नवंबर, 2015 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।



(क्षितीश कुमार)

भारत सरकार के अवर सचिव

दूरभाष: 2338 4502

संलग्न: उपरोक्तानुसार

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
3. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
4. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली
9. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
10. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
11. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
12. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
13. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
14. सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषित: (i) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(ii) सचिव के प्रधान कार्मिक अधिकारी, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(iii) अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्रतिलिपि प्रेषित: निदेशक (ई.ए.के.) - एमसीए वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

(कारपोरेट कार्य मंत्रालय)

1. नवंबर, 2015 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीति निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

I. अधिसूचनाएं:-

(i) इस मंत्रालय ने दिनांक 3.11.2015 के संशोधन द्वारा क्षेत्रीय निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 के द्वारा उन्हें प्रदत्त या उक्त अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा उन्हें सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकृत किया है। इसके अलावा क्षेत्रीय निदेशक कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत उन्हें दिए गए या उक्त अधिनियम के प्रावधान, जो अभी लागू हैं, के संबंध में इस अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करना जारी रखेंगे। सा.का.नि. 832(अ)

(ii) इस मंत्रालय ने दिनांक 16.11.2015 की अधिसूचना द्वारा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) तृतीय संशोधन नियम, 2014 अधिसूचित किए हैं जिनके द्वारा प्ररूप संख्या एमजीटी - 7 को प्रतिस्थापित किया गया है। (सा.का.नि. 862 (अ))

II. परिपत्र

नवंबर, 2015 माह के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक परिपत्र जारी किया गया था जिसके द्वारा ई-प्ररूप एओसी-4, एओ(सीएफएस)एओसी-4 एक्सबीआरएल और एमजीटी-7 के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के समयसीमा दिनांक 31.12.2015 तक बढ़ा दी गई है।

मंत्रालय में अभियोजन की स्वीकृति का कोई मामला तीन महीने से अधिक लंबित नहीं है।